

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष पद की चयन वर्ष 2013-14 से 2017-18 हेतु आयोजित पुनर्वावलोकन(रिव्यू) बैठक की अनुशंसा के आधार पर आदेश क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/ एबी/ बी-3/डीपीसी/ प्रअ/ रिव्यू 2013-14 से 2017-18(चयन) दिनांक:- 23.10.2020 द्वारा चयनित किया गया है। उक्त चयनित कामिकों में निम्नांकित कामिक जो पूर्व से ही प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष पद पर पदस्थापित हैं उन्हें वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पदोन्नति पर यथावत पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं	वरिष्ठता क्रमांक	वर्ष	नाम	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	जिला	लिंग	वर्ग	शिड्ड	चयन वर्ष	
1	2	3	4	5	6	11	12	7	8	9	10
1	682	0	1986-88	Ashok Kumar Jain	05-08-62	GOVT MUSIC RES.SCHOOL, RAMPURA KOTA	KOTA	M		I	2013-14

(सौरभ स्वाधी)
I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/एबी/बी-1/प्र0अ0/रिव्यू डीपीसी 2013-14 से 17-18/2020(यथावत) दिनांक :- 01/07/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2 उप शासन सचिव, कामिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
- 6 समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 7 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
- 8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/संस्था-सी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
- 9 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि कामिक की सेवापुस्तिका में उक्त आदेश का स्पष्ट रूप से इन्द्राज करावे।
- 10 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान/सम्बन्धित कामिक/
- 11 अनुभाग अधिकारी, एबी अनुभाग को पदस्थापन से संबंधित आगामी कार्यवाही बाबत।
- 12 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक-कामिक